

कार्यालय आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन, मध्यप्रदेश

(220, राजस्व राहत भवन, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.), पिन कोड:- 462027)

(e-Mail : clrgwa@nic.in, mp-lrs@mp.gov.in)

क्रमांक/MPLRS/PMKISAN/2026 /2881

भोपाल, दिनांक 05/10/2026

प्रति,

कलेक्टर

समस्त जिला

मध्यप्रदेश

विषय -प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हितग्राही अपात्रता की स्थिति में सूचना प्रदान करने हेतु।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हितग्राहियों को वर्ष में कुल राशि रुपये 6000/- तीन समान किशतों में प्रदान किए जा रहे हैं। योजना के तहत पीएमकिसान पोर्टल पर पात्र हितग्राहियों का पंजीयन एवं पंजीकृत हितग्राहियों के अपात्र होने पर जानकारी पीएमकिसान पोर्टल पर अद्यतन की जाती है।

सीएम हैल्पलाईन शिकायतों की समीक्षा में पाया गया है कि हितग्राहियों की अपात्रता की जानकारी पीएमकिसान पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण अद्यतन की गई है, जिसके कारण जिलों द्वारा हितग्राहियों को Revoke करने हेतु पोर्टल पर अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि हितग्राहियों की अपात्रता अद्यतन करने के पूर्व हितग्राही परिवार को अपात्रता के कारण की सूचना प्रदान की जाए, ताकि इस प्रकार की स्थिति निर्मित न हो एवं पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान करने में कठिनाई न हो।

(निधि निवेदिता)

आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 05/10/2026

पृ. क्रमांक/MPLRS/PMKISAN/2026 /2882

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग।

आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन

मध्यप्रदेश